

दैनिक भास्कर

आप पढ़ रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय और नंबर 1 अखबार

कुल पेज 24 | 20 पेज + 4 पेज

बिहार

मूल्य ₹ 3.50 | वर्ष 5, अंक 184

पटना, बुधवार, 25 जुलाई, 2018

आषाढ शुक्ल पक्ष-13, 2075

12 राज्य | 66 संस्करण

मानसून			
बारिश अब तक	औसत	कम/ज्यादा	
देश	377.7 mm	386.1	(-2%)
प्रदेश	235.6 mm	434.8	(-46)
पटना	75.2 mm	387.7	(-81)

प्रदेशभर से दैनिक भास्कर कार्यालय पहुंचे लोप, रेश अध्यक्ष अपजल अमानुल्लाह ने दिए उनके सवालों के जवाब

सवाल : बिस्डर अधुरे फ्लैट की रजिस्ट्री के लिए कहता है, क्या यह कानूनन सही है?

बिस्डर अगर अधुरे फ्लैट की रजिस्ट्री के लिए कहता है तो ऐसा कभी नहीं करें। यह कानूनन सही नहीं है। अगर दबाव बनाता है तो इसकी शिकायत रेश में करें, बिस्डर के खिलाफ कार्रवाई होगी। यह भरोसा रेश (रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी) के अध्यक्ष अपजल अमानुल्लाह ने बिहार के लोगों को दिया है। अमानुल्लाह मंगलवार को रेश की पूरी टीम के साथ दैनिक भास्कर कार्यालय में मौजूद थे। उन्होंने रियल इस्टेट सेक्टर को लेकर पाठकों के तमाम सवालों के जवाब दिए। कहा कि अथॉरिटी के गठन का उद्देश्य उपभोक्ताओं, बिस्डरों, प्रमोटर्स और एजेंटों के हितों की रक्षा करना है।

जवाब : जब तक फ्लैट पूरी तरह तैयार न हो जाए रजिस्ट्री नहीं कराएं, बिस्डर दबाव डालने तो रेश में शिकायत करें

- अधुरे फ्लैटों की रजिस्ट्री का दबाव डाल रहा है बिस्डर। अभी तक 2.5-30 फ्लैटों की रजिस्ट्री कर चुका है।

-संजय कुमार, पटना

- रेश अध्यक्ष : बिना रेश में निबंधन कराए फ्लैटों की रजिस्ट्री नहीं की जा सकती। यह गलत है। ऐसी शिकायतें मिलती हैं और रेश की ओर से बिस्डर को नोटिस दिया गया है। जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। सुबे में, कारोबार करने वाले बिस्डर, प्रमोटर और एजेंट को रेश में निबंधन कराना ही होगा। जमीन, मकान-फ्लैट की खरीद रेश में निबंधित बिस्डरों व एजेंटों से ही करें।



- 2011 में एक प्रोजेक्ट में दो फ्लैटों की बुकिंग करायी थी। तब स्ट्रक्चर खड़ा था। अभी भी प्रोजेक्ट उसी स्थिति में है।

लगातार शिकायतें आ रही हैं। कार्रवाई की जा रही है। ऐसे मामलों का निपटारा तीन माह में किया जाना है। बिस्डरों की तय समय में प्रोजेक्ट को पूरा करना होगा। हालांकि देश के लिए बिस्डरों का भी पक्ष सुना जाएगा। अभी तक 150 बिस्डरों को नोटिस दिया गया है।

के नहीं होने के कारण नक्शा पास करने में दिक्कत आ रही है। रेश ने पंचायती राज विभाग को मुखिया की तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराने के लिए पत्र लिखा है। जल्द ही इस व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा।

- रेश अध्यक्ष : प्रोजेक्ट में अनवश्यक देरी की जा रही है। हालांकि तकनीकी पदाधिकारियों

नक्शा कौन पास करेगा। -संजय सिंह, बिस्डर-प्रमोटर, एनवी टाउन

- रेश अध्यक्ष : प्लानिंग एरिया से बाहर शुरू होने वाले प्रोजेक्ट का नक्शा पास करने की जिम्मेवारी संबंधित पंचायत के मुखिया की सुविधा के लिए को गई है।

- रेश अध्यक्ष : प्लानिंग कर जमीन की विक्री करने वालों का भी निबंधन आवश्यक है। यह व्यवस्था ग्राहकों के साथ-साथ एजेंटों की सुविधा के लिए को गई है।

-सुबाोध कुमार, रघुपति इंफ्राटेक

- रेश अध्यक्ष : प्लानिंग कर जमीन की विक्री करने वालों का भी निबंधन आवश्यक है। यह व्यवस्था ग्राहकों के साथ-साथ एजेंटों की सुविधा के लिए को गई है।

हिन निबंधन रजिस्ट्री नहीं पंजा 6